

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएस

प्रकरण सं० : 22/2018

अनवान :

1. फुलाराम पुत्र जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. पालाराम } पिसरान जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई
2. नौरग } तहसील भादरा।
3. जोराराम }
4. बिन्दुड़ी पुत्री जगमाल जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. खजानी पत्नी मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा।
6. पृथ्वी } पुत्रान मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई
7. इन्द्र } तहसील भादरा।
8. चानण }
9. मोहम्मद रफी }
10. खजुरी } पुत्रियान मालाराम जाति बावरी निवासी भनाई
11. बुगली } तहसील भादरा।
12. कमला पत्नी झमन जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. दिनेश पुत्र झमन जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. राजा पुत्री झमन जाति बावरी निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. बलराज वल्द छेलुराम जाति चमार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील प्रतिवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं दावा वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



A
02.06.2019
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
भादरा, जिला हनुमानगढ़

7 6/19

पकावली पेस दुई) कडुवाप कडिके उपस्थित
 पकावली का प्रमाण पूर्वक कडुलोफन किमा
 जमा। इस्लाम उरण में दिनांक 12-6-15
 को लोक कडालर केम्प भगाई में पक्ष काल
 ने नलीनका व नजरी नस्का पेस किमा। जिप्त
 पर उभय पक्ष को जुना गला। एवं जुनाकिव
 इलीनका व नजरी नस्का के बाद बासी डिपी
 किमा जमा का। अथित होकर उतिल्यी
 सुधी सिद्धे ने न्यायालय राजा कमील
 प्राधिकारी इनुमानगठ के लक्ष्य अत्र किछिपे
 के विजुत कमील उधुत की जिछिपे भीमान
 राजस्व कमील कडिकारी नहोदप ने इल
 आश्रय के बाव पकावली उचित की की कि
 तहसील कड उभय पक्ष के किछिपे नकप
 से सुचित कड उभय पक्ष की उपस्थिति
 में गौका निनीरण का नियम 18 ता 21 के
 प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर उधुत
 करे। तहसील कड से अप्र विभाजन प्रत्ये
 पर छह जोडेदान की आपत्तियों। आश्रयो
 पर सुनवाई कड नियमनुसार निस्कारण कते
 इल विभाजन की कडिक डिपी पकीर को।
 पकावली अप्र वेक पर नसीब पेसी में
 ली गई। कपीलान्ट सुधी सिद्धे की को छे
 भी विजुत शक्ति ने वकाउतगण पेस किमा।

नदीलाल शर्मा राजसूद भादरा के अंगरान राण्ड
 अमीन अदिलफाही शुभाकरा के, लिखी
 अनुगत विभाजन उत्तरा नैगाट का निजामिन
 हेतु लिखा गया दिनांक 18-3-19 को
 नदीलाल शर्मा राजसूद भादरा से विभाजन
 प्रस्ताव प्राप्त हुआ किन्तु दोपले दवा
 पत्र कारण ने पूर्व में हुए शर्जाणा के
 अनुगत सदस्य से ज्ञात विभाजन कक्षा किया
 गया जो कि बलाड दिनांक विभाग जमाकर
 में अंकन से पुका है व उक्त अंकन दिनांक
 18-3-19 को नदीलाल शर्मा राजसूद से
 प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुगत है व
 पत्र कारण भी अंकन से अनुगत व सदस्य है।
 इसलिये पुनः विभाजन प्रस्ताव के अनुगत
 निर्वच व डिबी जारी कर्ते की आवश्यकता
 नहीं है।

अतः वाद वादी खसित किया जाता है।
 अर्च उभय पक्ष अपना अपना कदम ले।
 इसी अनुगत पत्रा डिबी जारी का अन्त
 पनाइती की जावे। निर्वच से अन्तगत लिखना
 जाकर पुनः अन्त पनाइती साहित्य अन्त
 है।

A ————— P 03.06.19
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) भादरा